

1[प्रपत्र 'घ'

(नियम-3 देखिये)

अनावासिक भवनों के सम्बन्ध में सम्पत्ति कर निर्धारण प्रपत्र

1— स्वामी/अध्यासी का विवरण—

- (एक) स्वामी/अध्यासी का नाम.....
(दो) स्वामी/अध्यासी के पिता का नाम.....
(तीन) भवन/मकान/भूखण्ड संख्या और अवस्थिति का पता.....
(चार) स्वामी/अध्यासी के निवास का पता.....
(पाँच) अन्य विवरण, यदि कोई हो.....

2— भवन या भूमि का विवरण.....

- (एक) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्गफुट में).....
(दो) खुली भूमि या भू-खण्ड का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्गफुट में).....
(तीन) अन्य विवरण, यदि कोई हो.....

3— अवस्थिति का विवरण—

(क) भवन या भूमि अवस्थित है—

- (एक) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
(दो) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
(तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

(ख) भवन के निर्माण की प्रकृति—

- (एक) पक्का भवन, आर.सी.सी. छत या आर.बी. छत सहित
(दो) अन्य पक्का भवन, अस्वेस्टोज, फाइबर या टीनशेड
(तीन) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित नहीं है।

1. प्रपत्र "ग" और "घ" अधिसूचना संख्या 1463/9-9-2013-85-ज-05 टी.सी. दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 द्वारा बढ़ाया गया, जो उ.प्र. असाधारण गजट भाग-4, खण्ड (ख), दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 को प्रकाशित हुआ। (27-12-2013 से प्रभावी)

टिप्पणी—कृपया प्रयोज्य खाने में सही का निशान लगाये।

4— भवन निर्माण का वर्ष.....

5— पूर्व निर्धारित वार्षिक मूल्य और निर्धारण वर्ष.....

सत्यापन

मैं.....वार्ड.....के मुहल्ला.....में स्थित भवन सं.....का स्वामी/अध्यासी एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि इस प्रपत्र में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ठीक और पूर्ण है। उसमें अन्तर्विष्ट किसी बात को न तो छिपाया गया है और न ही मिथ्या उल्लिखित किया गया है।

दिनांक

हस्ताक्षर.....

नाम.....

आज्ञा से,
सी.बी. पालीवाल,
प्रमुख सचिव।